न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी मनराज बडगोती (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

प्रा0पत्र संख्या–51 / 2023
प्रा0पत्र प्रविष्टि दिनांक–04.08.2023
निर्णय दिनांक–19.12.2025

राजू मीणा पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम समदपुरा, तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार पीपलू जिला टोंक (राज0)

अप्रार्थी

अधिवक्ता प्रार्थी–श्री नन्दकिशोर शर्मा एड0.
श्री हेमराज गुर्जर एड0
अप्रार्थी–पैरोकार सरकार तहसीलदार पीपलू

प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. 1956

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि भूमि आराजी ख0न0 1735 रकबा 0.7081 हैक्ट. वाके ग्राम बोरखण्डी कलां, पटवार हल्का बोरखण्डी कलां, तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जिसका प्रार्थी सह खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी का नाम संहवन से बोलता नाम राजेश पुत्र लक्ष्मीनारायण दर्ज करवा दिया गया, जबकि प्रार्थी का सही नाम राजू मीणा पुत्र लक्ष्मीनारायण है तथा उसके सम्पूर्ण दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि में उसका नाम राजू मीणा है। अतः प्रार्थी का नाम राजेश पुत्र लक्ष्मीनारायण की जगह पर राजू पुत्र लक्ष्मीनारायण दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रार्थी को गांव में राजू मीणा के नाम से ही जानते व पहचानते है तथा राजेश प्रार्थी के बचपन का बोलता नाम है। गांव में राजेश पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीणा के नाम का कोई अन्य व्यक्ति नही है तथा प्रार्थी के सभी दस्तावेजो में सही नाम राजू मीणा पुत्र लक्ष्मीनारायण दर्ज है, जो सही है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में संहवन से राजू की जगह राजेश अंकित

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

करवा दिया। जिसको दुरूस्त करवाने का प्रार्थी अधिकारी है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम राजेश पुत्र लक्ष्मीनारायण अंकित किया गया है, जो एक लिपिकीय त्रुटी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ख0न0 1735 रकबा 0.7081 हैक्ट. वाके ग्राम बोरखण्डी कलां, पटवार हल्का बोरखण्डी में वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम राजेश पुत्र लक्ष्मीनारायण के स्थान पर राजू मीणा पुत्र लक्ष्मीनारायण किये जाने के आदेश प्रदान फरमावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू की गई तथा अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू से राजस्व रिकॉर्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट व जवाब चाहा गया। तहसीलदार पीपलू ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि भूमि आराजी ख0न0 1735 रकबा 0.7081 हैक्ट. वाके ग्राम बोरखण्डी कलां हि. 1/2 नाबालिग राजेश पुत्र लक्ष्मीनारायण सरपरस्त लक्ष्मीनारायण जाति मीना सा.देह समदपुरा खातेदार के नाम दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का बोलता नाम राजेश पुत्र लक्ष्मीनारायण दर्ज कर दिया गया था, जबकि प्रार्थी का सही नाम राजू पुत्र लक्ष्मीनारायण सम्पूर्ण दस्तावेजो राशन कार्ड, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड आदि में होना बताया गया है। जिसके संबंध में दिनांक 23.04.2025 को मौके पर जाकर मौका जांच कर पर्चा तैयार किया गया है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रस्तुत जवाब पर बहस का निवेदन किया। बहस उभयपक्ष सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कथन किया कि भूमि आराजी ख0न0 1735 रकबा 0.7081 हैक्ट. वाके ग्राम बोरखण्डी कलां में स्थित है। जिसका प्रार्थी सह खातेदार काश्तकार है। उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में संहवन से प्रार्थी का बोलता नाम राजेश पुत्र लक्ष्मीनारायण दर्ज करवा दिया गया। प्रार्थी को गांव में राजू मीणा के नाम से ही जानते व पहचानते है तथा राजेश प्रार्थी के बचपन का बोलता नाम है। गांव में राजेश पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीणा के नाम का कोई अन्य व्यक्ति नही है। प्रार्थी के सम्पूर्ण दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि में उसका नाम राजू मीणा है। उक्त त्रुटी एक लिपिकीय त्रुटी है, जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का नाम राजेश पुत्र लक्ष्मीनारायण की जगह पर राजू पुत्र लक्ष्मीनारायण दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत होने के कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकर किया जाकर ख0न0 1735 रकबा 0.7081 हैक्ट. वाके ग्राम बोरखण्डी कलां में वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम राजेश पुत्र लक्ष्मीनारायण के स्थान पर राजू मीणा पुत्र लक्ष्मीनारायण किये जाने के आदेश फरमावे।

अप्रार्थी पैराकार सरकार ने अपनी बहस में बताया कि भूमि आराजी ख0न0 1735 रकबा 0.7081 हैक्ट. वाके ग्राम बोरखण्डी कलां हि. 1/2 नाबालिग राजेश पुत्र लक्ष्मीनारायण सरपरस्त लक्ष्मीनारायण जाति मीना सा.देह समदपुरा खातेदार के नाम दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का बोलता नाम राजेश पुत्र लक्ष्मीनारायण दर्ज कर दिया गया था, जबकि प्रार्थी का सही नाम राजू पुत्र लक्ष्मीनारायण सम्पूर्ण

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

दस्तावेजो राशन कार्ड, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड आदि में होना बताया गया है। जिसके संबंध में दिनांक 23.04.2025 को मौके पर जाकर मौका जांच कर पर्चा तैयार किया गया है। प्रार्थी अपने आवेदन को साक्ष्य सबूतो से स्वयं सिद्ध करे। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में अंकित राजेश पुत्र लक्ष्मीनारायण के स्थान पर राजू मीना पुत्र लक्ष्मीनारायण करवाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो के आधार पर अपना पक्ष रखते हुए न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकते है।

सरपंच ग्राम पंचायत बोरखण्डी कलां के प्रमाण पत्र अनुसार राजेश व राजू पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीना ग्राम समदपुरा, ग्राम पंचायत बोरखण्डी कलां, तह0 पीपलू, जिला टोंक का मूल निवासी है। राजेश व राजू एक ही व्यक्ति का नाम है। वर्तमान समय में इसको राजू के नाम से पुकारा जाता है और दस्तावेजो में इसका नाम राजू है। मैं इसको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। प्रमाण पत्र आज दिनांक 24.04.2025 को कार्यालय मोहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

पत्रावली व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत बोरखण्डी कलां व अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया व उभयपक्ष बहस पर मंनन किया। उक्त अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही नाम राजू मीना पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीना है, जबकि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड भूमि आराजी ख0न0 1735 रकबा 0.7081 हैक्ट. वाके ग्राम बोरखण्डी कलां में प्रार्थी का नाम राजेश पुत्र लक्ष्मीनारायण दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, जो त्रुटीपूर्ण है। अतः उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के त्रुटीपूर्ण नाम **राजेश पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीना** के स्थान पर **राजू मीना पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीना हिस्सा जमाबंदी अनुसार** दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय आज दिनांक 19.12.2025 में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

(ग[illegible] आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)